भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4286

जिसका उत्तर 26 मार्च, 2025 को दिया जाना है

घरेलू कोयला भंडारों से ऊर्जा सुरक्षा

4286. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः

श्रीमती भारती पारधीः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता में कोयले के घरेलू भंडार का कितना योगदान है;

(ख) क्या देश के मौजूदा कोयला भंडारों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो निष्कर्षण और प्रसंस्करण दक्षता में वृद्धि करने के लिए किन-किन प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है;

(ग) सरकार घरेलू कोयला भंडारों से कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए किस प्रकार कार्य कर रही है और इस संबंध में अब तक कितनी सफलता मिली है;

(घ) भारत ने कोयले के आयात पर अपनी निर्भरता कितनी कम की है और इसे और कम करने के लिए और क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है; और

(ङ) कोयला भंडारों के निष्कर्षण और उपयोग के पर्यावरणीय परिणाम क्या हैं और इन्हें किस प्रकार कम किया जा रहा है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : देश की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान करने के लिए भारत के पास पर्याप्त घरेलू कोयला भंडार हैं और यह देश की ऊर्जा जरूरतों का 55% है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के

अनुसार, दिनांक 01.04.2024 तक की स्थिति के अनुसार, देश के कोयला और लिग्नाइट संसाधन क्रमशः 389.42 बिलियन टन और 47.29 बिलियन टन हैं।

(ख) : देश के मौजूदा कोयला भंडारों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है। निष्कर्षण और प्रसंस्करण दक्षता बढ़ाने के लिए, कोयला कंपनियों ने उत्पादकता बढ़ाने, लागत कम करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रौद्योगिकियों को क्रियान्वित करना शुरू किया है। कोयला काटने और ओवरबर्डन हटाने के लिए बड़े आकार की हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) के लिए भूमिगत खानों में सतत खनिक (सीएम) और ओपनकास्ट खानों में सतही खनिकों की भी तैनाती की जाती है।

(ग) : सरकार का ध्यान देश की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयले के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने पर है। देश ने वर्ष 2023-24 में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन किया है। वर्ष 2023-2024 में अखिल भारतीय घरेलू कोयला उत्पादन वर्ष 2022-2023 में 893.191 मि.ट. की तुलना में लगभग 11.71% की वृद्धि के साथ 997.826 मिलियन टन (मि.ट.) था। चालू वर्ष 2024-25 (फरवरी, 2025 तक) में, देश ने पिछले वर्ष 2023-24 की तदनुरूपी अवधि में 881.16 मि.ट. की तुलना में 5.45% की वृद्धि दर के साथ 929.15 मि.ट. (अनंतिम) कोयले का उत्पादन किया है।

ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं -

i कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा।

ii कैप्टिव खान स्वामियों (परमाणु खनिजों को छोड़कर) को ऐसी अतिरिक्त राशि के भुगतान पर केन्द्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित तरीके से खान से संबद्ध अंत्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद खुले बाजार में अपने वार्षिक खनिज (कोयला सहित) उत्पादन का 50% तक बेचने में सक्षम बनाने के लिए खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 [एमएमडीआर अधिनियम] का अधिनियमन।

iii कोयला खानों के प्रचालन में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्र हेतु सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल।

iv कोयला खानों के शीघ्र प्रचालन के लिए विभिन्न अनुमोदन/निकासी प्राप्त करने के लिए कोयला ब्लॉक आबंटितियों की सहायता हेतु परियोजना निगरानी इकाई।

v राजस्व शेयरिंग के आधार पर वाणिज्यिक खनन की नीलामी वर्ष 2020 में शुरू की गई। वाणिज्यिक खनन स्कीम के अंतर्गत उत्पादन की निर्धारित तारीख से पूर्व उत्पादित

कोयले की मात्रा के लिए अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण पर प्रोत्साहन (अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट) भी दिए गए हैं।

vi कोयले के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होने, बोली प्रक्रिया में नई कंपनियों को भाग लेने की अनुमति देने, अग्रिम राशि को कम करने, मासिक भुगतान हेतु अग्रिम राशि के समायोजन, कोयला खानों को प्रचालनात्मक बनाने के लिए लचीलापन को बढ़ावा देने हेतु उदार दक्षता मापदंड, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, ऑटोमैटिक रूट के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित राजस्व शेयरिंग मॉडल के साथ वाणिज्यिक कोयला खनन की निबंधन एवं शर्तें बहुत उदार हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, कोयला कंपनियों ने घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं -

कोयला कंपनियों ने कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। भूमिगत खानों में, जहां भी व्यवहार्य हो, मुख्यतः सतत खनिकों (सीएम) और हाईवॉल माइनर्स (एचडब्ल्यू) के साथ व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकियों (एमपीटी) का इस्तेमाल करना शुरू किया है। अपनी ओपनकास्ट (ओसी) खानों में, अपने उच्च क्षमता वाले एक्सकेवेटरों, डंपरों और सतही खनिकों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की शुरुआत और कोयले की निकासी के लिए कोयला हैंडलिंग संयंत्रों (सीएचपी), क्रशर, मोबाइल क्रशर, प्री-वे-बिंस आदि जैसी अवसंरचना का विकास किया जा रहा है।

(घ) : वर्तमान आयात नीति के अनुसार कोयले को खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अधीन रखा जाता है और उपभोक्ता लागू शुल्क का भुगतान करके अपने संविदागत मूल्यों के अनुसार अपनी पसंद के स्त्रोत से कोयले का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष (दिसंबर 2024 तक) के दौरान आयातित कोयले का विवरण निम्नानुसार है:

कोयले का आयात

(मात्रा मिलियन टन में और मूल्य मिलियन रु. में)

	कोकिंग कोयला		गैर-कोकिंग कोयला		कुल कोयला	
	मात्रा	मूल्य रूपए में	मात्रा	मूल्य रूपए में	मात्रा	मूल्य रूपए में
2022-23						
	56.05	1538399.74	181.62	2297444.02	237.67	3835843.76

2023-24	58.81	1330003.62	205.72	1772150.89	264.53	3102154.51
2023-24-दिसंबर-23	44.39	974011.49	155.80	1363711.82	200.19	2337723.31
2024-25-दिसंबर-24	42.75	798179.53	140.67	1116387.09	183.42	1914566.62
वृद्धि %	-3.68	-18.05	-9.72	-18.14	-8.38	-18.10

कोयला आयातों को प्रतिस्थापित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

i. घरेलू कोयला उत्पादन में वृद्धि

ii. कोकिंग कोयले के आयात को कम करने के लिए इस्पात क्षेत्र को कोकिंग कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कोकिंग कोल मिशन लॉन्च करना।

(ङ.) : कोयला खनन कार्य एक स्थल-विशिष्ट गतिविधि है। पर्यावरणीय प्रभावों का अनुमोदित पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुसार संधारणीय खनन और पर्यावरणीय नियंत्रण उपायों की आयोजना और कार्यान्वयन द्वारा प्रबंधन किया जाता है और इन्हें विनिर्दिष्ट मानकों के भीतर रखा जाता है।

पर्यावरण प्रबंधन योजनाएं (ईएमपी) तैयार करने के लिए खनन से पूर्व और पश्चात की स्थितियों पर विचार करते हुए प्रत्येक परियोजना के लिए एक विस्तृत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) किया जाता है। इसी के आधार पर पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) प्रदान की जाती है। ईसी प्रदान करते समय ईएमपी के कार्यान्वयन के लिए शर्तें/शमन उपाय निर्धारित किए जाते हैं जिनका परियोजना प्रस्तावकों द्वारा अनुपालन किया जाना होता है। ईसी प्राप्त करने पर, परियोजना प्रस्तावक संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) से जल और वायु अधिनियमों के उपबंधों के अंतर्गत स्थापना सहमति (सीटीई) – एक बारगी और प्रचालन सहमति (सीटीओ) - आवधिक रूप से प्राप्त करता है। परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान ईसी,

सीटीओ आदि में निर्धारित शर्तों के अनुपालन की निगरानी एमओईएफएंडसीसी, एसपीसीबी आदि जैसे नियामकों द्वारा नियमित रूप से की जाती है।

देश में कोयला खानों में पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संधारणीय और पर्यावरण के अनुकूल पहलें की गई हैं जैसे कि वृक्षारोपण/जैव-पुनरूद्धार, सामुदायिक उपयोग के लिए खान जल का उपयोग और इको-पार्कों का विकास, तथा ऊर्जा दक्षता उपायों को अपनाना।

*****